-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 12.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अन्तर्गत गुरेह में पूर्व परिचित युवको द्वारा एक युवक पर जानलेवा हमला कर घायल कर देने, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के प्रकरण में दो मुख्य अभियुक्तों को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 12.11.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा युवक की उसके पूर्व परिचित लोगों द्वारा जानलेवा हमला कर घायल कर देने, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के मामले में वांछित 02 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरलतब हो कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम गुरेह में दिनांक 05.11.2025 की रात्रि गुरेह के रहने वाले युवक प्रेमचन्द्र को उसके पूर्व परिचित लोगों द्वारा फोन करके बाईपास चौराहा गुरेह बुलाया था जहां शराब ठेके के पास उनमें आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ जिसमें अभियुक्तों ने प्रेमचन्द्र पर लाठी से हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गया। परिजनों द्वारा घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया जहां से उसे हायर सेन्टर रेफर कर दिया गया। सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घायल प्रेमचन्द की पीजीआई सैफई जनपद इटावा में इलाज के दौरान दिनांक 09.11.2025 को दुःखद मृत्यु हो गई। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अभियोग में सुसंगत धाराओं की वृद्धि की गई थी तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। आज दिनांक 12.11.2025 को पुलिस द्वारा घटना के दो मुख्य अभियुक्तों प्रांजल तथा सत्यम को चहितारा सर्विस रोड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. प्रांजल पुत्र संतोष नि0 बलखण्डीनाका थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. सत्यम पुत्र रामबाबू नि0 अर्दली बाजार थाना कोतवाली नगर बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

➢ मु0अ0सं0 312/25 धारा 103/191(2)/191(3)/190/115(2)/351(3) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष कोतवाली देहात श्री चन्द्रप्रकाश तिवारी
2. कां0 सचिन पटेल
3. कां0 अभिषेक मिश्रा
4. म0कां0 सपना अहिरवार